भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2194
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

यौन अपराध के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

2194 श्रीमती राजाथी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई 2026 में उच्चतम न्यायालय की उस हालिया टिप्पणी के बारे में जानकारी है जिसमें यौन अपराधों के मामलों से निपटने में संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ;

(ख) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट को राज्य सरकारों सहित संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया है ; और

(घ) देश भर की न्यायिक और कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं में ऐसे दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : जी हां, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14.07.2026 को *स्वतः संज्ञान याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025* के अपने निर्णय में, लैंगिक अपराधों से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, पीड़ितों और अन्य असुरक्षित व्यक्तियों से संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं में करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय का ये मानना है कि निष्पक्ष, अनुक्रियात्मक और प्रभावी न्याय प्रणाली के संचालन के लिए, न्यायिक निर्णयों में करुणा, मानवता और संवेदनशीलता के मूल्यों का समावेश

अपरिहार्य हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के माध्यम से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के रूप में जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही में, विशेष रूप से लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों में, लैंगिक संवेदनशीलता और आघात-आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से न्याय प्रशासन में सहानुभूति, गरिमा और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करते हुए, असंवेदनशील प्रतिपरीक्षा के कारण होने वाले द्वितीयक आघात का निवारण करना है। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं:

- लैंगिक न्याय के संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों के विकसित होने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक सुस्वस्थता और स्वायत्तता पर ज़ोर दिया गया है। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली के हितधारकों को लैंगिक मामलों में संवेदनशीलता और गरिमापूर्ण ढंग से कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी।
- ऐसे मामलों में प्रतिपरीक्षा करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें पीड़ित के लैंगिक इतिहास और अन्य अनुचित विचारों पर निर्भरता से बचाव के उपाय सम्मिलित हैं।
- यह जांच और न्यायनिर्णय प्रक्रियाओं में संभावित लैंगिक पूर्वाग्रहों और पक्षपातों के क्षेत्रों की पहचान करने में प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- न्यायिक आदेशों और निर्णयों में लिंग-संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा के प्रयोग की सिफारिश करता है।
- यह करुणापूर्ण, आघात-सूचित और पीड़ित-केंद्रित न्यायालयीय प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है जो सभी हितधारकों की गरिमा और गोपनीयता को संरक्षित करती हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025 का निर्णय और स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025 में विविध आवेदन संख्या 1998/2026 का निर्णय और प्रकाशन 'निर्णय और लिंग (निर्णय लिखने में संवेदनशीलता और करुणा)' उपलब्ध करा दिए गए हैं।

****